

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय उद्योग आयुक्त
उद्योग सदन, 419 औद्योगिक क्षेत्र पटपड़गंज, दिल्ली 10092

फा.सं० सी.आई./डी.सी.आई./क्यू.सी./वी.एस./2018-19/१०५ दिनांक : ११-२-१९

सेवा में,

✓ उपसचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

विषय: दिल्ली विधानसभा तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या 197 दिनांक 28.02.2019 को
सदन की बैठक हेतु।

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां, माननीय
मंत्री, उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीया,

लक्ष्मी कृष्णन

(लक्ष्मी कृष्णन)

उपायुक्त उद्योग (प्र०शा०)

प्रतिलिपि :

1. सचिव , माननीय उद्योग मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की
दो प्रतियां सहित ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय , दिल्ली को प्रश्न के उत्तर
की 150 प्रतियां सहित ।

उपायुक्त उद्योग (प्र०शा०)

विभाग का नाम :- कार्यालय आयुक्त उद्योग

विभाग का पता:-कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली-110092

अतारंकित प्रश्न संख्या : 197

दिनांक : 28.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री रामचन्द्र

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न सं.	प्रश्न	उत्तर
क	बवाना डी.एस.आई.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितनी फैक्ट्रियां हैं,	बवाना औद्योगिक क्षेत्र में कुल 16312 औद्योगिक प्लॉट हैं जिसमें 12658 फैक्ट्री वर्तमान में कार्यरत हैं ।
ख	इस औद्योगिक क्षेत्र के रख-रखाव का जिम्मा किस कंपनी को दिया गया है,	इस औद्योगिक क्षेत्र में रख-रखाव का जिम्मा बवाना इन्फ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को पी.पी.पी. मोड में दिया गया है।
ग	मेन्टेनेन्स के लिए जिम्मेदार कंपनी द्वारा संतोषजनक कार्य न करने पर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है,	अनुबंध के अनुसार संतोषजनक कार्य नहीं करने पर कंपनी पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, पेनल्टी की वसूली वार्षिक (Annuity) की राशि से वसूल किये जाने का प्रावधान है ।
घ	डी.एस.आई.डी.सी. इन्फ्रा कंपनी को कौन -कौन से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है,	बवाना इन्फ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सम्पूर्ण बवाना औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार के रखरखाव, देखभाल, मरम्मत जैसे पार्क, बगीचे, सड़कें, सी.ई.टी.पी., पानी सप्लाई, सीवर, नालियां, बरसाती नालें, कूड़ा कचरा एकत्रित करना, औद्योगिक क्षेत्र की साफ सफाई एवं कूड़े के निस्तारण इत्यादि करने की जिम्मेदारी दी गई है । इन कार्यों को करने हेतु बवाना इन्फ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को पूर्व निर्धारित दर पर मेन्टेनेंस, सी.ई.टी.पी., पानी सप्लाई शुल्क प्रति वर्ग मीटर के दर से प्रत्येक औद्योगिक इकाई से अनुबंध के अनुसार प्रतिमाह प्राप्त करने का प्रावधान है ।
ङ	कार्य निर्धारण का ब्यौरा क्या है ?	

प्रश्नी कृपानु
उपायुक्त उद्योग (प्रश्न शाखा)
उद्योग विभाग